उमर खां बनाम श्रीमति फरीदा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मु॰ नं॰ – 201/2022

धारा – 88, 91, 92 ए, 188 RIA

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30-9-24 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 8-10-24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

08/10/24 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 21/10/24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

21/10/24 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

25-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादी एवं एक बजे उपस्थित प्रतिवादी 1, 2, व 4 के स्थान हेतु स्थगन चाहा। पत्रावली बाबते जवाब हेतु दिनांक 5-12-24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वादी/प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता उमर ई-मेल

वकील वादी 25/11/24

5/12/24 पत्रावली पेश हुई वादी पक्ष 1 व 2 द्वारा वाद नोटशीट के स्थगित करने का निवेदन किया 25/11/24 को उपस्थित न होने कारण वादी व 4 के द्वारा आज उपस्थित वाद नोटशीट के निरस्त करने का निवेदन किया जिन्हें पक्षकार अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब वादी का वाद नोटशीट के निरस्त का समर्थन में केवल श्रीमान नाम के कथन हैं।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वादीगण का वाद चलाने की आवश्यकता नहीं है। वाद नोटशीट निरस्त किया जाता है।